सत्यमेव जयते

खंड ६ संख्या १

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि १४ सितम्बर १९५९

Vol. VI No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, the 14th September, 1959

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार
पटना, द्वारा मुद्रित
१९६०

[मूल्य—३७ नये पैसे ।]
[*Price—37 Naye Paise.*]

मुंसरिम तथा चपरासियों को कम वेतन।

LOW SALARY TO MUNSARIMS AND PEONS.

अध्यक्ष– ग्रांट को बढ़ाने के लिए कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। इसलिए इसे भी मैं नामंजूर करता हूं।

जमीन्दारी उन्मूलन के फलस्वरूप राज्यों के प्रवन्ध की आवश्यकता।

NECESSITY OF MANAGEMENT OF THE ESTATES DUE TO ABOLITION OF THE ZAMINDARIS.

*श्री कपिलदेव सिंह––मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

जमीन्दारी उन्मूलन के फलस्वरूप राज्यों के प्रवन्ध के लिये २३,००,००० रु० का उपबन्ध १ रु० से घटाया जाय।

"इस योजना की आवश्यकता पर विचार-विमर्श करने के लिए।"

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह मांग इस सदन में प्रस्तुत किया है जमाबन्दी का काम जो उनकी तरफ से शुरू किया गया है उसके लिए। जमींदारी लेने के समय उस समय के राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जमीन-व्यवस्था में एक आमूल परिवर्त्तन करेंगे और एक बड़ा कदम उठायेंगे। इतने दिन जमींदारी लेने के बाद यह नया काम जमाबन्दी का शुरू किया है और उसके लिए कर्मचारी को सर जमीन पर नहीं भेजते हैं और उसके साथ कुछ आदमियों को बहाल करने जा रहे हैं...

अध्यक्ष––नकलनवीस को बहाल करना है जो कौपी करेगा।

श्री कपिलदेव सिंह––उन्होंने १० लाख रुपयों का उपबन्ध कागज को कौपी करने के लिए मांगा है और वह भी ऐसा कागज जो इनके यहां है जिसमें बहुत सी गलतियां हैं इसलिये कि दरअसल जमीन किसके कब्जे में है और वह किसके नाम में लिखा हुआ है यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कितने ऐसे हैं जिनको जमीन मिली है और वे बेदखल कर दिए गए हैं। कागज जब गलत है तो जो कॉपी होगी वह भी गलत होगी।

अध्यक्ष––स्कीम का ब्योरा लिखा हुआ है एक्सप्लानेटरी रिमार्क में––

"For processing and systematising the result of Field Bujharat under proper check and supervision, as well as for the purpose of assessment of final compensation, it is necessary to revise the old Khewats.......For all these purposes, it is necessary to employ copyists on job contract basis and appoint necessary number of temporary L.D. clerks as comparers....."

श्री कपिलदेव सिंह--सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस चीज को वे कॉपी करेंगे और कम्पेयर करेंगे वह सही है या नहीं, इस बात को देखना है। खेवट और खतियान में भी बहुत तरह की गलतियां हैं।

अध्यक्ष--जो कागज सर्वे का है उसकी नकल करेंगे।

श्री कपिलदेव सिंह--लेकिन उसमें भी तो बहुत सी गलतियां हैं।

अध्यक्ष--नकल करके दूसरे ब्रांच के पास जायगा जो उसको देखेगा और उसमें सुधार करेगा।

श्री कपिलदेव सिंह--सवाल है कि जब एक गलती है और उस गलती की नकल करने के लिये खर्च करेंगे १० लाख रु० और फिर उस गलती को पकड़ने के लिये १० लाख रु० खर्च करें और फिर खर्च करें तो मेरा कहना है कि ऐसा खर्च करना कहां तक वाजिब है?

अध्यक्ष--तो यह कहिये कि इसकी जरूरत नहीं है।

श्री कपिलदेव सिंह--हम वही कह रहे थे कि इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हमको तो जमीन की व्यवस्था पहले बदलनी है। उसके बाद कहां क्या गलती है इसका पता लगाना है, देखना है कि खाता खेसरा और खेवट में क्या गलती है।

अध्यक्ष--लेकिन कॉपी तो करना होगा। बिना कॉपी के काम कैसे चलेगा? सर्वे रिपोर्ट में है उसको जानने की तो जरूरत होती ही है।

श्री कपिलदेव सिंह--हम यह कह रहे हैं कि योजना नयी-नयी बनाते हैं और इस समय २३ लाख रु० मांग रहे हैं जिसमें कागज की कॉपी की जायगी लेकिन पहले इनको चाहिए यह था कि कागज में जो गलती थी किसके नाम से जमीन है और किसका कब्जा है अंचल-अंचल में इसका वेरीफिकेशन करा लेते। इसके बाद कागज सही करके उसकी कॉपी कराते।

अध्यक्ष--लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है कि पुराने रेकर्ड्स को रिवाइज किया जायगा।

श्री कपिलदेव सिंह--लेकिन नौ तिया अड़तालीस अगर लिखा है तो उसको कॉपी करने में हम खर्च करें यह कहां की बुद्धिमानी है? अगर नौ तिया सताईस लिखा रहता तब हम उसको कॉपी करने में खर्च कर सकते थे। मेरे कहने का मतलब है कि गलत चीज की कॉपी भी गलत ही रह जायगी। जब से जमींदारी सरकार में वेस्ट

कर गई है उस समय से ही ठीक तरह से जमाबन्दी नहीं लिखी गयी है। बहुत-सी जमीन जो गलत आदमियों के नाम पर लिखी हुई है उसके बारे में अगर कोई आदमी अंचल ऑफिस में जाता है कि सही आदमी के नाम पर उस जमीन को लिखवा दे और गलती को दुरुस्त करवा दे तो अंचल ऑफिस के अधिकारी कह देते हैं कि जैसा लिखा हुआ है वही रहेगा। तो मैं कहता हूं कि यह बहुत गलत तरीका है।

अध्यक्ष--चूंकि जमींदारों ने भी सभी कागजात सरकार को नहीं दिये हैं और बहुत से केसेज में जिनके कागजात दिये गये हैं गलत जमाबन्दी दिखलायी गयी है, इसलिए खेवट और खतियान अगर जांच करने वाले के पास नहीं हो तो कैसे काम चलेगा इसलिए खतियान और खेवट की नकल होनी चाहिये।

श्री कपिलदेव सिंह--अंचल ऑफिस, मल्टि-पर्पस को-ऑपरेटिव सोसाईटी वगैरह के द्वारा मालगुजारी वसूल की जाती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि कागजात की खामियों के कारण जो मालगुजारी नहीं वसूल हो पाती है पहले वहां ठीक होना चाहिये। हम यह रोज देख रहे हैं कि यह विभाग घाटा पर चल रहा है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि पहले उन स्तरों पर काम ठीक हो तब हम यह समझ सकते हैं कि सरकार की मांग का औचित्य हो सकता है।

बुझारत की गड़बड़ी का नतीजा यह होता है कि जिस गरीब किसान का घर दो सौ वर्षों से किसी जगह पर है उसका नाम सरकारी कागज में नहीं है। तो मैं कहता हूं कि इस तरह के डिफेक्टिव कागज से नकल करने पर क्या फल मिलेगा?

अध्यक्ष--इसीलिए खतियान की नकल करवाने की जरूरत पड़ती है। जमाबंन्दी को दुरुस्त करने में उसकी जरूरत होगी।

श्री कपिलदेव सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहूंगा कि औन दि स्पौट वेरिफिकेशन सब जमीनों की करावे और अंचल के आधार पर जांच का काम शुरू हो। ऊपर-ऊपर नकल करने से काम नहीं चलेगा। यही कारण है कि मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।

*श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव--अध्यक्ष महोदय, श्री कपिलदेव सिंह का जो कटौती का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस मांग के लिये जो एक्सप्लेनेशन है और उसमें जो बातें कही गयी हैं उससे काफी प्रकाश नहीं मिलता है। यहां पर यह कहा गया है कि:

"For processing and systematising the result of Field Bujharat under proper check and supervision, as well as for the purpose of final compensation, it is necessary to revise the old Khewats with reference to the intermediary rights existing on the date of vesting and to prepare a combined Khewat and Khatian showing the assets of each ex-intermediary."

जमींदारी एबोलीशन के बाद किसानों की जो आशा थी और उसी के बैकग्राउन्ड में जो यह मांग है और इसमें जो बहाली होनेवाली है वह बेकार मालूम पड़ता है।

अध्यक्ष—अगर आप बेकार समझते हैं तो रुपया ग्रान्ट मत कीजिये।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—सरकार की ओर से यह कहा गया है कि खेवट और खतियान को बदलने के लिये यह बुझारत हो रही है लेकिन इसमें सरकार को कितनी सफलता मिली है? छोटे-छोटे जमींदारों के यहां तो बहुत-ही कम गड़बड़ी हुई है लेकिन जो बड़े-बड़े जमींदार थे और जिनके पास बकाश्त जमीन बहुत थी उन लोगों ने इस जमीन की बन्दोबस्ती बहुत ही कम रेन्ट पर कर दी है और उसको तो आप नहीं क्वेश्चन करते हैं। तब यह बुझारत किस आधार पर हो रही है और इससे क्या फायदा होगा?

अध्यक्ष—तब आप यह कह सकते हैं कि जितना स्टाफ है उतने से आप काम चला सकते हैं और ज्यादा मांग की कोई जरूरत नहीं है।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—सरकार के स्टेटमेंट में जो नोट दिया हुआ है उसी के बैकग्राउन्ड में मैं अपना भाषण दे रहा हूं।

अध्यक्ष—आप यह कह सकते हैं कि इस काम की कोई जरूरत नहीं है। न बुझारत की कोई जरूरत है और न खतियान और खेवट कम्पेयर करने की, और न उसे रिवाइज करने की ही जरूरत है।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—मैं यही तो बतला रहा हूं कि जिस तरह से बुझारत का काम अभी चल रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है। जमींदारों ने जो अपना रिटर्न दिया है उसमें ज्यादा परसेन्टेज में गलती नहीं निकलती है और उसे ही स्वीकार कर लिया जाता है तब इसकी क्या जरूरत है और इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की जा रही है। लोगों को इसकी आशा थी कि जमींदारी उन्मूलन से जमींदारों की ओर से जो ज्यादती किसानों पर होती थी उससे उनको राहत मिलेगी। लेकिन अभी जिस तरह से बुझारत का काम हो रहा है उससे तो उनकी दिक्कत और भी बढ़ती जा रही है। बड़े-बड़े जमींदारों के पास बहुतसी बकाश्त जमीन थी और उसको उनलोगों ने बन्दोबस्त किया है। उसको तो आप क्वेश्चन नहीं करते हैं और मान लेते हैं। जब ९५ प्रतिशत केसेज में कोई गड़बड़ी नहीं है तो सिर्फ ५ परसेन्ट केसेज के लिये इतनी बड़ी क्लर्क और मुनसरिम की सेना और उस पर इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता है? आपका रेवेन्यू कलेक्शन तो घटता जा रहा है।

अध्यक्ष—आप इन सारी बातों को यहां पर क्यों उठाते हैं। इस मांग में तो ये सब बातें नहीं हैं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—इनका इस डिमांड से संबंध है और ये बहुत भायटल प्वायंट्स हैं। इसलिये हमारा यह सुझाव है कि १० एकड़ तक जो जमीन है उसको

तो इस बुझारत से छोड़ दीजिये और अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी का शक हो तो इसके लिये अलग एक ऑफिसर और कर्मचारी बहाल कर दीजिय। जहां पर कोई ऑवजेक्शन आवे तो उसी की जांच होनी चाहिये। इसी तरह से सेटेलमेंट के जो बड़े-बड़े केसेज हैं उनकी जांच हो। अभी अगर कम रेन्ट पर बन्दोबस्ती हुई है तो आप उसी रेन्ट पर उनको मुआवजा दे दीजिये और फिर युनिफौर्म तरीके से लगान लगाने का अधिकार तो आपके पास है, उसके अनुसार काम करते रहियेगा। अभी जो बुझारत का काम चल रहा है वह सिस्टेमेटिक और साइन्टिफिक नहीं मालूम होता है। अभी कौपींग डिपार्टमेंट कायम करने से तो कोई फायदा नहीं हैं। आज से ५० वर्ष पहले सर्वे हुआ था और इस बीच में जमीन कितने लोगों के हाथ से गुजर गयी है। जमींदार ने किसी आदमी के साथ जमीन को बन्दोबस्त किया और उसके मरने के बाद फिर किसी जबरदस्त आदमी ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो उसे आप किस चीज से प्रूफ कर सकते हैं। अभी तो इस बुझारत से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ करप्शन और भ्रष्टाचार की भरमार ? है अभी जो फिल्ड बुझारत हुई है उसके चलते हजारो-हजार दरखास्तें पड़ी हैं और इस तरह से इसके प्रोसेस से लोगों को फायदा होने के बदले बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है और इसके चलते लोग करप्शन के शिकार बन गये हैं। प्रोसेस जो आपके निकलते हैं उससे फायदा के बदले गड़बड़ियां ही होती हैं और करप्शन बढ़ता है जिसका लोगों को शिकार होना पड़ता है। जमींदारों की जमीन जो खाते में मौजूद थी उसको भी वेरीफाइ नहीं किया गया है, हालांकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इस गड़बड़ी के चलते ही कर्मचारी लोग १० रु० लेकर रेकर्ड को चेंज कर देते हैं।

अध्यक्ष---अभी तक एक ही डिमांड पास हुआ है और दूसरा डिमान्ड का कट-मोशन चल रहा है। अभी बहुत से डिमान्ड बाकी हैं यदि एक-एक सदस्य एक कट-मोशन पर इतना समय लेंगे तो कैसे होगा। मेरे हाथ में रूल है जिसके मुताबिक मैं समय को लिमिट कर सकता हूं। हम दो बजे टाइम फिक्स कर देंगे कि एक कट-मोशन पर कितना समय एक मेम्बर को मिल सकता है।

आप और कितना समय चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव---हम पांच मिनट और समय चाहते हैं।

(अंतराल)

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव ---अध्यक्षमहोदय, राजस्व विभाग के रेकर्ड कॉपी करने के संबंध में जो अनुदान है उसके कटौती के प्रस्ताव पर मैं बोल रहा था। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं सिर्फ एक-दो सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

यू०पी० सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदारी संबंधी कागजात को जिस तरह से दुरुस्त किया है वह अनुकरणीय है। उनका सिस्टम साइन्टिफिक है। उन्होंने अपनी जमीन को पांच हिस्सों में बांट दी है। जो फर्स्ट क्लास जमीन है उसको पांच यूनिट दिया है, जो सेकन्ड क्लास जमीन है उसके लिए ४ यूनिट और इसी तरह से सभी जमीन को यूनिट में बांट दिया है और हर यूनिट का रेन्ट फिक्स कर दिया है। उन्होंने इस तरह से अपने रेकड को दुरुस्त किया। इससे यह फायदा होगा कि जब

कभी आप चाहें जांच करवा सकते हैं और लैंड सिलिंग बिल लाना चाहेंगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर जो तरीका आप अपना रहे हैं उससे मुझे आशा नहीं है कि आपका मकसद पूरा होगा। सबसे पहली दिक्कत आपके तरीके में यह है कि रेकर्ड को तैयार करने के लिए या उसकी कॉपी करने के लिए जो प्रोसेस आप अख्तियार कर रहे हैं उससे फायदा नहीं हुआ। आप तहसील पिउन को २५ रु० तनख्वाह देते हैं और उनका पोस्ट ट्रान्सफरेबुल है। ऐसे आदमी के हाथ में आप रेकर्ड की कॉपी करने का काम देने जा रहे हैं। यह बात सब कोई मानते हैं कि अंचल में या ब्लॉक में करप्शन की गुंजाइश है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी अचल अधिकारी या बी०डी०ओ० करप्ट हैं लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके खिलाफ मैंने एन्टी-करप्शन में रिपोर्ट की थी, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात को कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपके कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार करें तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है।

बुझारत के संबंध में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। १० एकड़ के नीचे की जो जमीन है उसको आप पोस्टपोन कर दें। इसके संबंध में यदि कोई खास ऑबजेक्शन रेज हो तो आप अंचल अधिकारी या मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दें कि कम-से-कम समय में उस रेकर्ड को दुरुस्त कर दें। उसके बाद १० एकड़ से ज्यादा जमीन के लिए आप एक टाइम लिमिट कर दें कि बुझारत का काम इतने समय में हो जाना चाहिए। जमींदारों को मुआवजा देने के मामले में आपको जो दिक्कत हो रही है वह भी इससे खतम हो जायगी। दूसरी बात यह है कि रेकर्ड वास्तविक रूप में तभी सही होगा जब सर्वे किया जायगा। मैं मधुबन थाने के केटचा गांव का एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां के एक मुशहर का नाम खतियान में है मगर वहां के अंचल अधिकारी ने किसी जमींदार के नाम पर समूची जमीन की बन्दोबस्ती करा दी।

अध्यक्ष—आपका समय हो गया। अब आप बैठ जायं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—मैं एक मिनट में अपना भाषण खतम कर दूंगा।

जमींदारों के समय जो बात नहीं होती थी, वह अब हो रही है। अंचल ऑफिस जब करप्शन का घर हो गया है तो कैसे सुधार का काम उससे हो सकता है। कौपींग सेक्शन का काम तब तक ठीक नहीं हो सकता है जब तक सैद्धांतिक तरीके से रेकर्ड को दुरुस्त करने के बारे में नहीं सोचेंगे।

अध्यक्ष—कट-मोशन को मूव करने वाले के लिए १० मिनट, एडीशनल स्पीकर के लिए ५ मिनट तथा कट-मोशन का जवाब देने के लिए सरकार को १० मिनट का समय मिलेगा। साधारणतः यही नियम रहेगा।

श्री श्रीधर नारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान कुछ खास बातों की ओर ले जाना चाहता हूं। सरकार ने जो यह प्रोवीजन रखा है कि पुराने खतियान और खेवट वगैरह की नकल की जाय और फिर सप्लीमेंटरी बुझारत हो उसकी

नक़ल की जाय तो मैं इसके संबंध में दो-एक बातें आपसे कहना चाहता हूं। कुछ वक्ताओं ने आपसे यह अर्ज किया है कि जो भी बुझारत की गई है उसमें बहुत सी त्रुटियां रह गई है। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं इसलिए कि हमारे और दोस्तों को कुछ कहना है। साथ ही हमारे राजस्व मंत्री को भी मालूम है कि बुझारत में खामियां रह गई हैं और कर्मचारियों ने तरह-तरह की धांधली की है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि फिर आखिर किस चीज की नकल की जा रही है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा है कि बुझारत की नकल होती है और फिर सप्लीमेंटरी बुझारत की जायगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि अभी बुझारत का काम चल रहा है उसमें रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर सप्लीमेंटरी बुझारत में रुपए खर्च होंगे तो इस तरह हर बार बुझारत के लिए रुपया मांगा जायगा। जैसा कि मालूम है कि हमारे राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि छः महीने में सप्लीमेंटरी बुझारत तैयार की जायगी तो मैं क्या इससे हम यह समझ लें कि छः महीने के बाद फिर मुनसरिम की बहाली होगी?

अध्यक्ष—बुझारत के नकल के करने की बात इसमें कहां है?

श्री श्रीधर नारायण—नहीं हुजूर, इसमें है कि:

"....In 1954 Revenue Department issued instructions for conducting Field Bujharat enquiries with a view to preparing up-to-date jamabandis.....For all the purposes it is necessary to employ copyists."

कहना यह है कि आखिर खतियान और खेवट तैयार किया जायगा तो अभी जो है उसको मिलाकर किया जायगा। तो जबतक सप्लीमेंटरी बुझारत नहीं हो जाती है तब तक यह नहीं हो सकता है और सप्लीमेंटरी बुझारत के लिए जो इन्स्ट्रक्शन सरकार ने दिया है उसे कर्मचारियों ने समझा नहीं है। बहुत सी जगहों में अभी तक बुझारत का काम नहीं टेक अप किया गया है। जो लोग बहाल किये जायेंगे वे क्या नकल करेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि इस काम को बन्द कर दिया जाय जबतक सारा कागज तैयार नहीं हो जाय। जबतक सप्लीमेंटरी बुझारत नहीं हो जाय तब तक के लिए इसे रोक दिया जाय। इतना ही मुझे कहना था।

*श्री बैजनाथ प्रसाद महथा—अध्यक्ष महोदय, हमलोगों के सामने जो प्रोवीजन है

उसमें बहाली के लिए बात कही गई है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जो भी बहाली हो उसमें यह ध्यान रखा जाय कि जिन कामों के लिए बहाली की जा रही है उन कामों के लिए वैसे ही आदमियों की बहाली का इन्तजाम हो जो काम को अच्छी तरह कर सके और जिन्हें रेकर्ड्स की अच्छी जानकारी हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसा कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद कुछ खामियां रह गई हैं जिनकी पूर्ती अभी की जा रही है और इसके बाद भी और पूरा किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, जगह-जगह बुझारत का काम चल रहा है लेकिन कर्मचारियों को इसका ज्ञान नहीं है और जिसका नतीजा यह हो रहा है कि सरकार के कामों का जो पूरा इन्तजाम होना चाहिए वह ठीक से नहीं हो रहा है। मेरे कहने

का मतलब यह है कि इस तरह के रेकर्ड्स वगैरह के ज्ञान रखने वाले एक सेक्शन के लोग थे, और वे जमींदारों के यहां पटवारी का काम करते थे। उन्हें इसका अच्छा ज्ञान था कि किस-किस तरह के कागजात कहां है, कौन-सा काग़ज किस रूप का है और जमीन वगैरह के कामों का क्या तरीका है। परन्तु जमींदारी लेने के बाद इन कामों के लिये नये-नये आदमियों की बहाली हुई, पुराने-पुराने पटवारी को हटा दिया गया है। हुजूर, मैं यह नहीं कहता कि हटाया गया वह अच्छा हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे सेक्शन के थे जिन्हें इन कामों में काफी दिलचस्पी थी और उसी से उनकी जीविका चलती थी और उनलोगों से काम भी अच्छी तरह चल जाता था परन्तु उन्हें नहीं रखने से काम तो ठीक तरह से नहीं ही चल रहा है वे भी परेशान हैं और भूखों मर रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि यह वेलफेयर स्टेट है, सबों के बारे में सोचना चाहिए जिसमें सबों को पूरी रोजी मिल सके, इसका उन्हें अधिकार है। समाज का जो नक्शा था कि एक खास सेक्शन के लोग इन कामों में लगे हुए थे, उन्हें हटा देने से अब उनके लिए खाने-पीने का कोई सहारा नहीं रह गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि इस तरह के कुछ लोग नेपाल में जाकर अपनी जीविका का साधन हासिल करने लगे लेकिन अब वहां भी दिक्कत हो रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आप सीटिजनशिप सर्टिफिकेट दिखलाइए। इसका नतीजा यह है कि वे बेचारे मारे फिर रहे हैं। न वे खेती कर सकते हैं और न मजदूरी कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह कुछ इन्तजाम करे और कम-से-कम वेलफेयर स्टेट होने के नाते जिनको इन कामों में दिलचस्पी है और जिनकी जीविका का यही जरिया रहा है उन्हें इसमें लिया जाय और जो प्रोवीजन किया जा रहा है इसमें उनकी गुंजाइश की जाय। मैं राजस्व मंत्री से आग्रह करूंगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस काम के लिए बहुत कारगर साबित होंगे और मुनसरिम का काम आसानी से कर सकते हैं। उनकी रोजी की व्यवस्था सरकार को वेलफेयर स्टेट में करनी चाहिए जिससे गवर्नमेंट का भी काम चले और उनका भी काम चले।

आखिर में एक बात का जिक्र करके मैं खतम करना चाहता हूं कि हमारे पुराने राजस्व मंत्री, श्री के०बी० सहाय दरभंगा गये थे तो कांग्रेस के एक कार्यकर्त्ता ने उनसे कहा कि आपने जमींदारी उन्मूलन किया जिससे आपको क्या लाभ हो रहा है यह तो आप ही जानते हैं.....

अध्यक्ष—शान्ति। दो आदमियों में क्या बातचीत हुई उसको यहां कहने की क्या जरूरत है, यह बहस का तरीका नहीं है। आपका समय भी हो गया, आप बैठ जायं।

*श्री राधागोविन्दप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, जो आलोचनाएं हुई हैं उनका जवाब तो पूर्व वक्ताओं ने खुद ही अपनी-अपनी दलीलों में दे दिया है। आप कहते हैं कि जमीन्दारी लेने के बाद हमारा हिसाब-किताब बुझारत से पता नहीं लगेगा। सरकार ने आशा की थी कि जमीन्दार जमाबन्दी दे देंगे तो पूरा हिसाब-किताब हो जायगा लेकिन वाक्या यह है कि सिर्फ २५ प्रतिशत जमीन्दारों ने जमाबन्दी दी और बाकी ७५ प्रतिशत के यहां से कागज नहीं मिला है। आप महसूस कर सकते हैं कि जमाबन्दी नहीं रहने के

कारण हमलोगों को कितनी दिक्कत हो सकती थी। जमाबन्दी को पूरा करना था, उसकी अहमियत को समझते हुए सारे स्टेट में ७५ हजार मौजे हैं जिनमें ६७,०९६ मौजे में बुझारत हो गयी है यानी ९४ परसेन्ट में बुझारत हुई है। इनमें ९८,१७० मौजों में सर्किल इन्सपेक्टर द्वारा और ४,५९५ मौजों में अंचलाधिकारी द्वारा बुझारत का चेकिंग हुआ है। जिन कागजों को जमीन्दारों ने दिया भी उनको चेक करने के लिए बुझारत करना पड़ा। बुझारत करने से १३ लाख रुपए और ज्यादे मिले हैं। बुझारत करने से यह मालूम हुआ कि यदि किसी तरह की उन्नति चाहेंगे तो बगैर किसी तरह के लैंड सर्वे के नहीं हो सकता है। लैंड के एक्सपर्ट्स का यही कहना है। मैकफर्सन साहेब रेवेन्यू के बहुत बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं, उनका भी यही कहना था। आपको मालूम है कि चालीस-पचास वर्षों से कोई लैंड सर्वे नहीं हुआ और लैंड के मुतल्लिक बहुत से चेंजेज हुए इसलिए जरूरत हुई कि बुझारत करें। जमीन्दारों के कागजों को लेकर बुझारत किया यह देखने के लिए कि किसकी जमीन कहां है। खेवट, खतियान, फ़ेरी का कन्टीन्युअस रेकर्ड तैयार करना था इसलिए स्टाफ की जरूरत पड़ी। आप कहेंगे जो कर्मचारी हैं उन्हीं से काम क्यों नहीं लेते हैं? काम इतना ज्यादा था, इतने ज्यादे ब्लॉक थे कि काम नहीं हो सकता था और ऐब्सट्रैक्ट करने के लिए हमलोगों को खेवट बुझारत करना पड़ा। कितना कम्पनसेशन देंगे, किस तरह से कम्पनसेशन देंगे, इसके लिए खेवट बुझारत करना पड़ा। मुन्सरिम की बहाली कर्मचारी और अंचलाधिकारी की मदद करने के लिए किया गया है जिसमें जहां तक जल्द हो सके हम कम्पनसेशन दे सकें। अधिक कर्मचारी बहाल करके पांच-छः महीने में सारा बुझारत खत्म करके ५० प्रतिशत कम्पनसेशन हमें दे देना है। आप कहेंगे कि २३ लाख रुपए आप इन पर क्यों खर्च करते हैं? कम्पनसेशन २० लाख रुपया देना होगा। अगर कोई जमीन्दार गलती से गलत हिसाब दे दे या जान बूझकर गलत हिसाब दे दे और कहे कि उसकी आमदनी ८० हजार की है जबकि वास्तव में उसकी आमदनी ५० हजार की थी तो उसको चेक करना जरूरी है। चेक नहीं करने से फाजिल दे देना पड़ेगा जो ठीक नहीं होगा। हिसाब-किताब करने के लिए पूरी तरह से जांच करने की जरूरत है। इसलिए हम अफसर बहाल करके छः महीने के अन्दर में कम्पेनसेशन का बौंड दे देंगे। सेक्रेटेरियट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का एक सेमिनार हुआ था जिसमें जोर दिया गया था कि यह काम जल्द-से-जल्द किया जाय। अफसरों ने कहा कि अभी जितना स्टाफ है उनसे यह काम करवाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बुझारत के लिए कुछ स्टाफ की जरूरत हुइ। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी जमीन काबिले लगान हैं लेकिन सरकार को उनसे मालगुजारी नहीं मिल रही है। उन काबिले लगान जमीनों की मालगुजारी फिक्स करनी है, जमीन्दारों को जल्द-से-जल्द बौंड के रूप में कम्पनसेशन दे दें इसलिए जरूरत है कि सब काम का अच्छी तरह से जांच हो और उस जांच के लिए थोड़ा रुपया खर्च करना पड़े तो करना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। जो कम्पनसेशन देना है उसका सही हिसाब करने के लिए या जो मालगुजारी हमें नहीं मिल सकी है, जिसका सरकार को पता नहीं था उसका पता लगाने के लिए जरूरत है कि हम खतियान का ऐब्सट्रैक्ट बनावें और खतियान की बुझारत करें और उसको करने के लिए जरूरत है कि और ऑफिसर और कर्मचारी को बहाल करें। इसलिए इस अनुदान की जरूरत है। यह स्टेट के फायदे के लिए है। इसलिए हाउस से मेरा अनुरोध है कि इसको जरूरी समझकर, कृपया मंजूर करे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

जमीन्दारी उन्मूलन के फलस्वरूप राज्यों के प्रबन्ध के लिए २३,००,००० रुपए का उपबन्ध १ रुपया से घटाया जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के २ पृष्ठ पर की अनुसूची में दी हुइ योजनाओं के लिये "भू आगम विभाग (लैंड रेवेन्यू)" के संबंध में ३१ मार्च १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान की दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित बिहार एप्रोप्रिएशन ऐक्ट, १९५९ के उपबन्ध के अतिरिक्त २३,००,०१५ रु० से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वन विभाग।

FOREST.

श्री राधागोविन्द प्रसाद—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के ७७-७८ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिए वन विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान की दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित बिहार एप्रोप्रिएशन ऐक्ट, १९५९ के उपबन्ध के अतिरिक्त १० रु० से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, देवघर में ऑफिसरों के क्वार्टर बनाने की बात थी लेकिन वहां जमीन नहीं मिलने के कारण बेतिया में रुपये का सदुपयोग किया गया। यदि वहां काम नहीं किया जाता तो रुपया लैप्स हो जाता। दूसरी बात यह है कि हजारीबाग जिले में जंगल के बीच में रोड बनाना जरूरी था। इसलिये यह काम भी किया गया है।

कटौती प्रस्ताव:

वन विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था।

CUT-MOTION:

HOUSING ACCOMMODATION FOR FOREST STAFF.

*Shri **UMESHWAR PRASAD**: Sir, I beg to move:

"That the Provision of Rs. 5 for "Housing Accomodation for Forest staff" be omitted.

To discuss the necessity of these works.

अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने बताया कि देवघर में जमीन नहीं मिली इसलिये वहां काम नहीं हुआ। देवघर में जंगल का दफ्तर किराये के मकान में है और सरकार